अनवान पंकुश बनाम भूप सिंह
वाद मुकदमा नं. 149/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 149 /2023

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

पंकुश पुत्र श्री भूपसिंह जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी महियावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।

..... वादी

ब ना म

1. भूपसिंह पुत्र श्री दलीपचन्द जाति जाट(कासनिया) निवासी गांव महियावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी	वादीगण
अधिवक्ता श्रीमती चन्द्रकान्ता	प्रतिवादी 1
पैरोकार राज	प्रति.–2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के पिता भूपसिंह पुत्र दलीपचन्द के नाम से वाके चक 8 एम एल पटवार हल्का महियावाली भू.अभि. क्षेत्र नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/29 के मु.न.28 के किला नम्बर 18/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 मे 0.1700 हैक्टर, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 सालम 25 में 0.0630 हैक्टर व मु.न. 30 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 सालम, 20/1 में 0.0450 हैक्टर किला नम्बर 21 से 24 सालम दोनो मुरब्बो में में कुल 3.819 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है। जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त कृषि भूमि वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार सही दर्ज की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को वादी को नहीं देना चाहता है तथा वह इसको बेचने की फिराक में है जबकि उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा बनता है व प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी भी है । वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी को कहा गया कि आप मेरी हक व हिस्से की भूमि मेरे नाम से कर दो ताकि मैं [illegible] भूमि को सुधार कर अच्छी फसल पैदा कर सकूं। मगर प्रतिवादी [illegible] टालमटोल करता आ रहा है। वादी अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करना चाहता [illegible] व परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में होने के कारण उक्त भूमि में [illegible] प्रकार सुधार नहीं हो पा रहा है और आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] अपने नाम से करवाये जाने का आग्रह किया तो प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को नाम [illegible] करवाने से साफ इंकारी हो गया। अतः वादी के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। वादी खाता विभाजन करवाना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चाहता है । राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रति प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। दावा श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है जो समुचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है । अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे :-

क- यह कि घोषित किया जावे कि डिकी खाता विभाजन चक 8 एम एल पटवार हल्का महियावाली भू.अभि. क्षेत्र नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/29 के मु. न. 28 के किला नम्बर 18/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 मेमं 0.1700 हैक्टर, कला नम्बर 21, 22, 23, 24 सालम 25 में 0.0630 हैक्टर व मु.न. 30 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 सालम 20/1 में 0.0450 हैक्टर किला नम्बर 21 से 24 सालम दोनो मुरब्बो में में कुल 3.819 हैक्टर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी के बीच सादिर की जाकर वादी का 1/2 हिस्सा विभाजन अच्छी व माड़ी के हिसाब से खाला, रास्ता आदि में सुधार में सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार से प्रस्ताव मंगवाकर किलावाईज विभाजन की डिकी पारित की जावे। वादी के हिस्से की भूमि लगान मामाला, वादी के नाम कायम किया जावे।

ख- खाता विभाजन करवाकर वादी के हिस्से की भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी को दिलाया जावे।

ग - खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ- यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझझे प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में इकाबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा जमाबंदी अनुसार स्वीकार हे। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का बेचान सिकी ओर को करना चाहता हे ये कथन स्वीकार नहीं है। वादी का 1/2 हिस्सा बनता है जिसको वह काश्त कर रहा है के कथन राजीनामा आपस मे होने के कारण स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में 5 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इन्कार के कथन स्वीकार नहीं है। वादी कभी भी कृषि भूमि में अपना हिस्सा लेने हेतु प्रतिवादी के पास नहीं आया परन्तु प्रतिवादी उसके हिस्सा की भूमि 1/2 हिस्सा देने को आज भी तैयार है। वादी एवं प्रतिवादी का राजनामा हो गया है। जिसे अलग से पेश किया जा रहा है। यदि न्यायालय चक चक 8 एम एल पटवार हल्का महियावाली भू.अभि. क्षेत्र नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/29 के मु.न.28 के किला नम्बर 18/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 मे 0.1700 हैक्टर, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 सालम 25 में 0.0630 हैक्टर व मु.न. 30 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 सालम 20/1 में 0.0450 हैक्टर किला नम्बर 21 से 24 सालम दोनो मुरब्बो में कुल 3.819 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा अच्छी व माडी के हिसाब से दिया जाता है तो प्रतिवीद को कोई ऐतराज नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि में से वादी का 1/2 हिस्सा देने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित **तथ्यानुसार** चक चक 8 एम एल पटवार हल्का महियावाली भू.अभि. क्षेत्र नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/29 के मु.न.28 के किला नम्बर 18/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 मे 0.1700 हैक्टर, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 सालम 25 में 0.0630 हैक्टर व मु.न. 30 के किला नम्बर 16, 17, 18,

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

19 सालम 20/1 में 0.0450 हैक्टर किला नम्बर 21 से 24 सालम दोनो मुरब्बो में कुल 3.819 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बराबर हिस्सा प्रथम पक्ष का है। दावा पेश होने के बाद प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का पंचायत व मौतबिरान व्यक्तियों के द्वारा राजीनामा करवा दिया है व राजीनामा के अनुसार दोनों पक्ष उक्त कृषि भूमि को 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर देने के लिए सहमत हो गये है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नाम से उक्त कृषि भूमि 3.819 की 1/2 हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में करवाने के लिए पाबंद रहेगा भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई उज एतराज कोई भी पक्षकार नहीं करेगा। उक्त राजीनामा पक्षकारान ने आपसी सहमति व रजामंदी से बिना किसी दबाव के रोबरू गवाहान के लिखा है ताकि सनद् रहे वक्त जरूरत काम आवे ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवदी के मध्य आपसी राजनामा होने एवं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में पंकुश पुत्र भूपसिंह जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार हल्का महियांवाली भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 34/29 प्रदर्श–1, जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार क्षेत्र महियांवाली भू.अ.निरीक्षक चूनावढ, जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/43 प्रदर्श–2, जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार हल्का महियांवाली भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 6/6 प्रदर्श–3 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार हल्का महियांवाली भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 34/29 प्रदर्श–1 एवम् विरास्तन साक्ष्य सम्बन्धि जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार क्षेत्र महियांवाली भू.अ.निरीक्षक चूनावढ, जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 23/43 प्रदर्श–2, जमाबंदी चक 8 एमएल पटवार हल्का महियांवाली भू.अ.नि. नेतेवाला खाता संख्या 6/6 प्रदर्श–3 पेश की गई। प्रस्तुत जमाबन्दियों के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी ;बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक [illegible] है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न होकर पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जानी चाहिए [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान पंकुश बनाम भूप सिंह
वाद मुकदमा नं. 149/2023

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 8 एम एल पटवार हल्का महियावाली भू.अभि. क्षेत्र नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/29 के मु.न.28 के किला नम्बर 18/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 20/1 मे 0.1700 हैक्टर, किला नम्बर 21, 22, 23, 24 सालम 25 में 0.0630 हैक्टर व मु.न. 30 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 सालम 20/1 में 0.0450 हैक्टर किला नम्बर 21 से 24 सालम दोनो मुरब्बो में कुल 3.819 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का वादी पंकुश पुत्र भूपसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:22:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner